अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

152/2021/225 सरदुर रहमान बनाम सैयदा मुनव्वर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/152	
पेशी	श्री आशीष जैन श्री अभिषेक शर्मा	

सरर्दुर रहमान बनाम सैयदा मुनव्वर वगैरह

19.7.21 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.07.2021 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है जिसमें वादीगण/रेस्पोडेन्ट को किसी भी तरह की स्टेज की रिलीफ नही मिली है तथा यहां वादीगण/रेस्पोडेन्ट असफल होने के कारण परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक नया दावा पेश किया गया जिसमें वादीगण/रेस्पोडेन्टस को किसी भी तरह से हक व अधिकार नहीं है। राजस्व वाद पेश किया गया जिसमें वाद कारण नक्शें में परिवर्तन के बाबत् बताया गया, नक्शा सन् 1983–84 को है तथा दावा करीब 37–38 वर्ष मियाद बाहर लेकर आये है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गोर नहीं किया कि वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा जो दावा पेश किया गया है वो क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आनें के कारण चलने योग्य नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। प्रार्थी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 की पालना व प्रभाव को स्थगित नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेगे एवं भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल कर देगे जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित फरमायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 ने दौराने जवाब बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस के पूर्वज स्वगीय अब्दुली राफे की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 798 रकबा 27–03–00 जिसके नये खसरा नम्बर 1160 रकबा 4.41 है. बने है उक्त भूमि के पश्चिमी ओर अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 797 रकबा 20–11–10 भूमि है जिसके नये खसरा नम्बर 1161 रकबा 2.83 है0 तथा 1161/1869 रकबा 0.50 है0 बने है। खसरा नम्बर 798 पर रेस्पोडेन्टस के पूर्व अब्दुल राफे बंटवारे के अनुसार तथा उनके स्वर्गवास पश्चात रेस्पोडेन्टस अपने हिस्से में आयी भूमि पर काश्त करते आ रहे है। जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक–हिस्सा नही है एवं ना ही रेस्पोडेन्टस के पूर्वज व रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त भूमि को किसी व्यक्ति को रहन, बय विक्रय किया गया है तथा ना ही भूमि का कब्जा किसी ओर के पास रहा है परन्तु साबिक नक्शा वर्ष 1970 से 1971 के पश्चात बने नये नक्शा वर्ष 1983 से 1984 में बदलवा हो जाने के कारण हाल रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका जवाब भी अप्रार्थी/अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

152/2021/226 सरदूर रहमान बनाम सिमला महुवर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/152	

लगातार

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। नक्शे में हुई गलती का अनुचित फायदा उठाने की मंशा से रेस्पोडेन्टस की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की नियत से रेस्पोडेन्टस की आराजी में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न कर, बेदखल करने पर आमादा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को स्वंय जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजी को ना तो स्वंय ना ही अपने एजेन्ट, असाईनीज, कर्मचारी, नौकर, मित्र के जरिये रहन, बय व मुन्तकिल ना करें तथा मौके व रिकार्ड की उभयपक्षों को यथास्थिति बनाये रखें के आदेश दिये है। उक्त आदेश अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 02.07.2021 से विवादित आराजी बाबत् उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ कि वादग्रस्त आराजी को ना तो स्वंय ना ही अपने एजेन्ट, असाईनीज, कर्मचारी, नौकर, मित्र के जरिये रहन, बय व मुन्तकिल ना करें तथा मौके व रिकार्ड की उभयपक्षों को यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश पारित किये है वह एक तरफा पारित किये गये है, जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध पारित किये है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2021 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वे उभयपक्ष को शीघ्र सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उक्त आदेश से 30 दिवस की अवधि में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक उभयपक्षों को पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखेगे तथा विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर